"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 अगस्त 2010—भाद्र 8, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (62).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (34) दिनांक 01-04-2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—
अनुक्रमांक 2 के सामने कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट शर्तें एवं निर्बंधन में शब्द "लघु" का लोप किया जाए.

2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2010 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (62).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (62), दिनांक 30-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 30th August 2010

NOTIFICATION

No. F-10/29/2010/CT/V (62).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10/29/2010/CT/V (34) dated 01-04-2010 :—

AMENDMENT

In schedule to the said notification—

In restriction and condition specified in column (4) against S. No. 2, the word "small" shall be omitted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01-04-2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.